न्यायालयः–भीष्म प्रसाद पाण्डेय सत्र न्यायाधीश महासमुन्द(छ.ग.)

CNR- CGMA 01-002088-2022
जमानत याचिका कः 1096/2022

मन्नु सबर पिता भोजराम सबर उम्र 61 वर्ष,
निवासी ग्राम चारभांठा (रैताल) थाना खल्लारी,
तहसील बागबाहरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)

———आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

छ.ग. राज्य
द्वारा– आबकारी वृत्त महासमुंद ग्रामीण
जिला– महासमुंद (छ.ग.)

———————अनावेदक/अभियोजन

————————————————————————————————

28/12/2022

आवेदक/अभियुक्त मन्नु सबर की ओर से श्री संजीव पण्डा अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक छ.ग. राज्य द्वारा श्री विनोद शर्मा अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

02. आवेदक/अभियुक्त ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–439 (1) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है कि आबकारी वृत्त महासमुंद ग्रामीण में दर्ज अपराध कमांक 53/2022 में छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के आरोप में दिनांक 25/12/2022 को गिरफतार किया गया है। धारा 437 द.प्र.स. अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ग्राम चारभांठा थाना खल्लारी तहसील बागबाहरा जिला महासमुंद का स्थायी निवासी है, जिसके अन्यत्र भाग जाने अथवा किसी साक्षियों को प्रभावित करने की कोई संभावना नही है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित धारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है एवं मृत्युदण्ड अथवा आजीवन करावास से दण्डनीय नही है। प्रकरण के विचारण में समय

लगने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। आवेदक/अभियुक्त जमानत के समस्त शर्तो का पालन करने तत्पर हैं। अतः जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया है।

03. आवेदन के समर्थन में श्री ओमप्रकाश सबर ने प्रस्तुत शपथ पत्र द्वारा बताया है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (1) के अंतर्गत यह प्रथम जमानत याचिका है, इसके अतिरिक्त इस धारा के तहत् अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी न्यायालय या माननीय छ.ग उच्च न्यायालय बिलासपुर के लम्बित नही है और न ही निराकृत हुआ है, इसी शपथ पत्र के द्वारा अधिवक्ता नियुक्ति का भी समर्थन किया गया है।

04. जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

05. आबकारी वृत्त महासमुंद ग्रामीण जिला महासमुंद (छ.ग.) से प्राप्त केस डायरी का अवलोकन किया गया।

06. आवेदक/अभियुक्त की ओर से आवेदन के अनुसार तर्क किया गया है।

07. अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आवेदक/अभियुक्त के अवैध आधिपत्य से 05 बल्क लीटर से अधिक हाथ भट्टी महुआ मदिरा की विधिवत बरामदगी, जप्ती की गई है, जमानत का दुरूपयोग कर सकता है, से जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

08. आबकारी वृत्त महासमुंद ग्रामीण जिला महासमुंद (छ.ग.) के अपराध क्रमॉक– 53/2022 अंतर्गत धारा–34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम के प्राप्त केस डायरी अनुसार दिनांक 25/12/2022 को आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त महासमुंद ग्रामीण को भ्रमण के दौरान मिली सूचना की तस्दीक में ग्राम रैताल पुलिया के पास संदेही व्यक्ति आवेदक/अभियुक्त मन्नु सबर से पूछताछ तलाशी पर एक बोरी के अंदर दो 05–05 लीटर क्षमता वाली जरीकेन में भरा हुआ कुल 08 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब अवैध आधिपत्य में रखा पाया गया। नोटिस देने पर कोई कागजात नही होना बताया। जिससे छ.ग.

आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत् आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।

09. केस डायरी के साथ प्रस्तुत प्रतिवेदन में आवेदक/अभियुक्त के पूर्व अपराधिक रिकार्ड निरंक होने की जानकारी दी गई है। अभिरक्षा में और पूछताछ हेतु आवश्यकता होने या अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता होने का कोई तथ्य प्रकट नही किया गया है। गवाहो को डराए धमकाने, अपराध की पुनरावृत्ति करने, फरार होने की संभावना प्रकट की गई है।

10. आवेदक/अभियुक्त के आधिपत्य से 08 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब की जप्ती होना उल्लेखित है। वह न्यायिक अभिरक्षा में है। पंजीबद्ध अपराध प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण एवं निराकरण में समय लगने की संभावना का तर्क से इंकार नही किया जा सकता। थाना खल्लारी क्षेत्रांतर्गत ग्राम चारभांठा का निवासी होना बताया गया है।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य तथा परिस्थितियों में प्रकरण के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किए बिना शर्तो के अधीन जमानत का प्रार्थना स्वीकार करने योग्य है। अतः आवेदक/अभियुक्त मन्नु सबर की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा. 439(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है।

12. आवेदक/अभियुक्त मन्नु सबर द्वारा निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध होते हुए 25,000/–(पचीस हजार) रूपये का स्वयं का बन्धपत्र एवं इतनी ही राशि का सक्षम जमानत विचारण न्यायालय के संतुष्टि योग्य प्रस्तुत करे तो आवेदक/अभियुक्त को आबकारी वृत्त महासमुंद ग्रामीण के अपराध क्रमांक 53/2022 में जमानत पर छोड़ा जावे।

शर्तें :–

1. आवेदक/अभियुक्त अपराध की पुनरावृत्ति नही करेगा।
2. विचारण के प्रत्येक सुनवाई तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जिससे विचारण बाधित न हो।

3. मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी आबकारी प्राधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के लिए प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नही देगा या साक्ष्य को नही बिगाड़ेगा।

4. निष्पादित बंधपत्र के शर्तो के अनुसार उपस्थित होगा।

13. किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर यह जमानत निरस्त की जा सकेगी ।

14. जमानत आदेश की प्रति के साथ केस डायरी आबकारी वृत्त महासमुंद ग्रामीण जिला महासमुंद को वापस किया जावे तथा आदेश की प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुंद जिला महासमुंद को सूचनार्थ भेजी जावे।

15. जेल अधीक्षक, जिला जेल महासमुन्द और सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुन्द (छ.ग.) को उनके ई–मेल के माध्यम से जमानत आदेश के सम्बन्ध में सूचित किया जावे ।

16. परिणाम दर्ज कर, प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे ।

सही/–
(भीष्म प्रसाद पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
महासमुन्द (छ.ग.)

<u>प्रतिलिपिः–</u>

01–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं सम्बन्धित रिमाण्ड प्रपत्र में संलग्न करने हेतु प्रेषित।

02– जेल अधीक्षक, जिला जेल महासमुंद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03–आबकारी वृत्त महासमुंद ग्रामीण जिला महासमुन्द को उनके अपराध क्रमॉकः 53/2022 धारा–34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम की केसडायरी के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सही/–
(भीष्म प्रसाद पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
महासमुन्द (छ.ग.)